SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) Complaint or report madeon Case No. 382117 Name and address of the Complainant. Name, parentage, caste and address of accused र्मात्र:36 र्भाराष्ठ व्यक The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आप पर आरोप है कि दिनांक 29/10/17 मुकाम SRF प्राप्त माण्य विना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 92 ज्या (श्रीटर/पाव/बोतल 2.7 शराब विकय/परिवहन हेतु रखी। ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any) अपराध स्वीकार है। त्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन of large of the first the case index classic(d) classic(d) classic(g) of sucception 260 mg

engine transport the constitution

(आज दिनांक 2) / 12/(ने को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विचरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि 1915 की धारा 34—1—(क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये कि किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 22 जन्म किए / पांव / बोतल 22 जन्म शराब मूल्यहीत एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार अपील की जावे। अपील होने की दशा में मानव अपील न्यायालय के आदेश का

